

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या - 63/2020 के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक, भौतिकी लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश-

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	मंगलवार 11.04.2023	630003, 630008, 630014, 630021, 630022, 630024, 630025, 630047, 630058, 630059, 630067, 630072, 630073, 630079, 630083, 630084, 630091, 630101, 630106, 630112, 630115, 630118, 630120, 630122	630128, 630129, 630139, 630141, 630144, 630154, 630155, 630157, 630168, 630172, 630173, 630175, 630180, 630185, 630186, 630189, 630191, 630196, 630197, 630209, 630215, 630234, 630238, 630243
2.	बुधवार 12.04.2023	630245, 630252, 630259, 630260, 630264, 630270, 630272, 630278, 630284, 630288, 630289, 630295, 630299, 630306, 630310, 630315, 630342, 630349, 630352, 630356, 630362, 630363, 630368, 630377	630380, 630386, 630390, 630393, 630397, 630404, 630405, 630420, 630424, 630427, 630443, 630448, 630460, 630463, 630464, 630467, 630469, 630472, 630479, 630483, 630485, 630486, 630489, 630492
3.	गुरुवार 13.04.2023	630496, 630498, 630506, 630509, 630516, 630520, 630526, 630533, 630537, 630543, 630552, 630557, 630559, 630561, 630562, 630580, 630582, 630599, 630623, 630629, 630630, 630634, 630647, 630648	630657, 630659, 630668, 630669, 630677, 630680

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक (Roll No.) डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। आयोग के उक्त वेबसाईट पर (i) आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं (ii) परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र-II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र-I एवं प्रपत्र-II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारी/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
03. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग-अलग) में भी लाना अनिवार्य होगा:-
- जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।
 - स्नातक के सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
 - स्नातक का डिग्री प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
 - स्नातकोत्तर (M.Sc./M.A./M.Tech/M.S etc.) के सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उनका उक्त अंक पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत हों।
 - स्नातकोत्तर (M.Sc./M.A./M.Tech/M.S etc.) का डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उनका उक्त प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत हों।
 - NET/SLET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
 - Certificate for Compliance of Ph.D. Degree in accordance with UGC Regulation 2009/2016/ Exemption Certificate From NET/SLET. यदि आप उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करते हैं, तो आपकी अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी।
 - यदि आपके स्नातक/स्नातकोत्तर के अंक पत्र/डिग्री प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA/ YGPA/ OGPA/ GPA/CPI इत्यादि अंकित है तो सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली (CGPA/DGPA/YGPA/OGPA/GPA/CPI) को Percentage में बदलने का Conversion formula/Certificate प्राप्त कर मूल से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त Conversion formula/Certificate संलग्न नहीं करने की स्थिति में विज्ञापन में अंकित नोट:- "बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।" के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - पीएच.डी. उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना (Notification) विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने का दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना होगा।
 - पीएच.डी. उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (विज्ञापन के आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत) दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
 - यदि आपके पीएच.डी. उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में ब्रांच/विषय Physics अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को पीएच.डी. कोर्स वर्क प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/पीएच.डी. उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना- Notification (ब्रांच/विषय अंकित होने की स्थिति में) अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त उम्मीदवार द्वारा सम्बन्धित विषय/विभाग से पीएच.डी. उत्तीर्ण की गई है, प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना होगा।
 - यदि आप विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में संविदा/ TEQIP पर नियोजित सहायक प्राध्यापक का अनुभव रखते हैं, तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा निर्गत संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कड़िका 5 के आलोक में अनुभव अंक देने हेतु प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा निर्गत हो तथा उसमें स्पष्ट रूप से नाम, पदनाम, संविदा/TEQIP, कुल संविदा अनुभव की अवधि का उल्लेख हो।
 - पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (NCLC) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, का उल्लेख हो।

- (xiv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- (xv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), जाति का उल्लेख हो।
- (xvi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त निवास प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता का उल्लेख हो।
- (xvii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- (xviii) (क) दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मागला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।) द्वारा

निर्गत। दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

- (ख) मूक बधिर (DD) दिव्यांग उम्मीदवार (बिहार एवं अन्य राज्य सहित) अपनी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (IGIMS, Patna) से बनवाकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) बिहार राज्य से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रारूप में बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

- (xix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत/ मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016) में निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा (परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।
- (xx) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xxi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा - मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- (xxii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।
- (xxiii) वैसे सफल उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा औपबधिक अर्हित कर लिखित परीक्षा में शामिल कराया गया है, उन्हें अपनी औपबधिक अर्हिता के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने/करने की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए।

04. (क) उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति साक्षात्कार के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं और साक्षात्कार के समय अवसर लेते हैं तो इस स्थिति में निर्धारित अवधि के अंदर अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं देने वाले अभ्यर्थी की अर्हिता के सम्बन्ध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- (ग) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को असफल/अयोग्य ही घोषित किया जायेगा।
05. (i) यदि साक्षात्कार के दिन आप अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपको सशर्त साक्षात्कार में शामिल कराया जायेगा।
- (ii) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर देते हुए औपबधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारम्भ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जा सकता है अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।
06. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
- (iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अथवा दिव्यांगता अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय कंडिका 3 (xvii), (xviii) एवं (xix) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
07. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हिता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हिता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
08. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1/2 घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
09. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू-टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
10. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना